<u>फर्द अहकाम</u>

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

किरण देवी बनाम सुशीला वगै0

केस संख्या : दावा 94/2024

केस संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही		विशेष विवरण
	04.09.2025	पत्रावली प्रस्तुत। उभयपक्ष अधिवक्तागण उपस्थित। उभयपक्ष की तहसीलदार रामपुरा डाबडी जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट पर बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने वाद में कोई कार्यवाही नहीं करनी चाही। प्रतिवादी अधिवक्ता ने आपत्तिं की। बहस तथा तहसीलदार रामपुरा डाबडी से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। वादीया वाद में कोई कार्यवाही नहीं चाहती है जैसा कि तहसीलदार कि रिपोर्ट में अंकित किया है तथा वादी अधिवक्ता ने भी जाहिर किया। चूकि वादीया ही वाद का चलाना नहीं चाहती है तो वाद को खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः तहसीलदार रामपुरा डाबडी की रिपोर्ट एवं बहस वादी अधिवक्तानुसार वाद वादीया खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:54:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner